सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 11, बुधवार, शाके 1937–दिसम्बर 2, 2015 Agrahayana 11, Wednesday, Saka 1937–December 2, 2015	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (1)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 1, 2015

जी.एस.आर. 118 :- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का नाम राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन (संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 3 का संशोधन.- राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के विद्यमान नियम 3 में-

(i) विद्यमान खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड (कक) अंत स्थापित किया जायेगा:-

''(कक) ''भर्ती प्राधिकारी'' से उच्च न्यायालय का महारजिस्ट्रार या उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है।

(ii) विद्यमान खण्ड (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

(अ) ''अधीनस्थ न्यायालयों'' से निम्नलिखित न्यायालय-

(i) जिला एवं सेशन न्यायाधीश,

(ii) अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,

(iii) विशेष न्यायाधीश,

(iv) पारिवारिक न्यायालय

(v) वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

(vi) वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

(vii) अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे और संवर्ग के समस्त विशेष न्यायालयों सहित)

(viii) अपर सिविल न्यायाधीश (न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट

(ix) सिविल न्यायाधीश

(x) सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट

(xi) अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट

(xii) न्यायिक मजिस्ट्रेट

(xiii) विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट

(xiv) ग्राम न्यायालय

और उच्च न्यायालय के अधीनस्थ, सरकार द्वारा विधि के अनुसार सृजित कोई अन्य न्यायालय अभिप्रेत है।''

3. नियम 10 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 10 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) में, उप-खण्ड (i) और (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

(i) आशुलिपिक के मामले में

या तो

अंग्रेजी श्रुतिलेख में 90 शब्द प्रति मिनट,

या

हिन्दी श्रुतिलेख में 70 शब्द प्रति मिनट,

(ii) निजी सहायकों के मामले में

या तो

अंग्रेजी श्रुतिलेख में 95 शब्द प्रति मिनट और कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में 8000 की-डिप्रेशन्स प्रति घंटा

या

हिन्दी श्रुतिलेख में 75 शब्द प्रति मिनट और कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में 8000 की-डिप्रेशन्स प्रति घंटा।''

4. नियम 13 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 13 और उसके खण्ड (क) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''नियुक्ति प्राधिकारी'' जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति ''भर्ती प्राधिकारी या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. नियम 14 का संशोधन.- नियम 14 के उप-नियम (ii) के परन्तुक में अभिव्यक्ति ''अनुसूची-IV में दिये गये पाठ्य विवरण और अनुदेशों के अनुसार उक्त न्यायालय द्वारा संचालित'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''अनुसूची-IV में दिये गये पाठ्य विवरण और अनुदेशों के अनुसार जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा संचालित'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

6. नियम 15 का संशोधन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 15 के स्थान पर निम्नलिखित द्वारा संचालित'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

''**15. रिक्तियों का अवधारण**.-जिला न्यायाधीश, वर्ष में कम से कम एक बार नियमित आधार पर विद्यमान और वर्ष के दौरान संभाव्य रिक्तियों की वास्तविक संख्या शीघ्रत: अवधारित करेगा और उसकी अध्यपेक्षा भर्ती प्राधिकारी को भर्ती के लिए भेजेगा।''

7. नियम 16 का संशोधन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

''**16 परीक्षा के संचालन के लिए प्राधिकारी और पाठ्य विवरण**.- भर्ती प्राधिकारी द्वारा परीक्षा, जिला न्यायाधीश से प्राप्त भर्ती के लिए अध्यपेक्षा के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर विहित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार संचालित की जायेगी। परीक्षा का पाठ्य विवरण ऐसा होगा जो अनुसूची-1 में दिया गया है।''

8. नियम 17 का संशोधन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 17 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

''**17 आवेदन आमंत्रित करना**.- पदों पर भर्ती के लिए आवेदन, भर्ती प्राधिकारी द्वारा कम से कम दो समाचार पत्रों में जिनमें से एक राज्य में व्यापक परिचालन जन भाषा का हो, विज्ञापित करके आमंत्रित किये जायेंगे। आवेदन का प्रारूप और फीस इस प्रकार होंगे जो भर्ती प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विहित किये जायें। विज्ञप्ति में एक खण्ड अन्तर्विष्ट होगा कि किसी अभ्यर्थी को, जो प्रस्तावित किये जा रहे पद के समनुदेशन को स्वीकार करता है, परिवीक्षा को कालावधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा नियत दर पर मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा और विज्ञप्ति में अन्य यथादर्शित पद का वेतनमान इन नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जायेगा।''

9. नियम 19 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 19 के विद्यमान उप-नियम (i) और उसके नीचे टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

''(i) अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के नाम, अनुसूची-III में दिये गये प्ररूप में जिल्दबन्द रजिस्टर में योग्यताक्रम में प्रविष्ट किये जायेंगे और प्रत्येक प्रविष्टि पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आद्याक्षर किये जायेंगे और तारीख डाली जायेगी:

परन्तु किसी भी अभ्यर्थी का, जो प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक प्रश्नपत्र (अनुसूची-I में यथोलिखित) में कम से कम 40 प्रतिशत अंकों के साथ कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहा है, चयन नहीं किया जायेगा। यदि दो या अधिक ऐसे अभ्यर्थी समान कुल अंक प्राप्त करते हैं तो उनके नाम सामान्य योग्यता के आधार पर व्यवस्थित किये जायेंगे। उस अभ्यर्थी के नाम के सामने अभ्युक्तियां स्तंभ में एक प्रविष्टि की जायेगी जिसने आशुलिपिक के रूप में स्वयं को अर्हित किया है।

टिप्पणी :-

(1) प्रश्न पत्र I और II में प्राप्त अर्हक अंकों के आधार पर, रिक्तियों की कुल संख्या के 15 गुना की सीमा तक अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर (दक्षता और गति) परीक्षण के लिए बुलाए जाने हेतु अर्हित घोषित किया जायेगा।

(2) दक्षता परीक्षण के लिए अर्हित अभ्यर्थियों और उसके पश्चात् अन्तिम रूप से सफल अभ्यर्थियों का परिणाम राजस्थान उच्च न्यायालय के वेब पेज पर प्रदर्शित किया जायेगा। अन्तिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची परीक्षा में प्राप्त अन्तिम अंकों को दर्शा कर प्रदर्शित की जायेगी।

(3) सफल अभ्यर्थियों के परिणाम को घोषित करने के पश्चात् भर्ती प्राधिकारी चयनित अभ्यर्थियों के नाम, उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार नियुक्ति के लिए संबंधित जिला न्यायाधीश को अग्रेषित करेगा।''

10. नियम 21 का हटाया जाना.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 21 को हटाया जायेगा।

11. नियम 22 का संशोधन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 22 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

''**22. वरिष्ठ निजी सहायक/निजी सहायक/आशुलिपिक के पद पर भर्ती के लिए प्रक्रिया**.- भर्ती प्राधिकारी द्वारा वरिष्ठ निजी सहायक/निजी सहायक/ आशुलिपिक के पद पर चयन, श्रुतिलेख परीक्षण और कम्प्यूटर (गति और दक्षता) परीक्षण आयोजित करने के पश्चात् और यह देखने कि क्या अभ्यर्थी इतना हकलाते हैं कि उन्होंने जो लिखा है उसे पढ़ने में सक्षम नहीं है, का अभिनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए, अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के पश्चात् किया जायेगा। चयनित अभ्यर्थियों के नाम योग्यताक्रम में रखे जायेंगे और उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी को भेजा जायेगा।''

12. नियम 23 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 23 के विद्यमान उप-नियम (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

''(1) लिपिकवर्गीय स्थापन में समस्त नियुक्तियां जिला न्यायाधीश द्वारा भर्ती प्राधिकारी से चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने पर की जायेगी। नियुक्ति प्राधिकारी के स्वयं का, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक समझी जाये, यह समाधान होने पर कि ऐसे अभ्यर्थी संवर्ग में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हैं, निम्नतर पद पर प्रथम नियुक्ति की जायेगी।

(2) आशुलिपिकों के पदों को भरने में विहित अर्हताएं रखने वाले ऐसे पदधारियों को अधिमानता दी जायेगी जो उस जजशिप में जिसमें रिक्त हुई है, पहले से कार्यरत है।

स्पष्टीकरण - ''अधिमानता'' से अभिप्रेत है कि यदि एक ही परीक्षा में उपस्थित, जजशिप में पहले से कार्यरत पदधारी और अन्य अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो जजशिप से पहले से कार्यरत पदधारियों को अधिमानता दी जायेगी।''

13. अनुसूची-I का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची-I में-

(i) विद्यमान भाग-I के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

''भाग-I

कनिष्ठ लिपिक के लिए

(प्रतियोगी परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण और नियम)

(नियम 16 देखिए)

I-लिखित परीक्षा:

लिखित परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्नपत्र सम्मिलित होंगे और प्रत्येक प्रश्नपत्र उसके सामने दर्शित अंकों का होगा:-

प्रश्न पत्र - I - अंग्रेजी - 100 अंक अवधि - 90 मिनट

प्रश्न पत्र - II - हिन्दी - 100 अंक अवधि - 90 मिनट

वस्तुपरक प्रकार के प्रश्नपत्र होंगे जो प्रत्येक 100 अंकों का होगा।

II-कम्प्यूटर परीक्षण :

कम्प्यूटर (दक्षता और गति) परीक्षण में दो प्रश्नपत्र अन्तर्विष्ट होंगे-

प्रश्न पत्र - I - गति परीक्षण - 50 अंक, अवधि 10 मिनट

कम्प्यूटर पर न्यूनतम गति 8000 की-डिप्रेशन्स प्रति घंटा होनी चाहिए।

डाटा, हिन्दी या अंग्रेजी या द्विभाषा अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी में डाला जाना होगा।

प्रश्न पत्र- II दक्षता प्रशिक्षण - 50 अंक, अवधि 10 मिनट कम्प्यूटर पर प्रवीणता आंकने के लिए

पाठ्य विवरण

अंग्रेजी और हिन्दी प्रश्नपत्रों के लिए पाठ्य विवरण निम्नरूप से है:-

1. सामान्य हिन्दी

1. संधि और संधि विच्छेद
2. सामासिक पदों की रचना और समास विग्रह
3. उपसर्ग
4. प्रत्यय
5. पर्यायवाची शब्द
6. विपरीतार्थक (विलोम) शब्द
7. अनेकार्थक शब्द
8. शब्द-युग्म
9. संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना
10. शब्द-शुद्धि:- अशुद्ध शब्दों का शुद्धीकरण और शब्दगत अशुद्धि का कारण
11. वाक्य-शुद्धि :- अशुद्ध वाक्यों का शुद्धीकरण और वाक्यगत अशुद्धि का कारण
12. वाच्य: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य प्रयोग
13. क्रिया: सकर्मक, अकर्मक और पूर्वकालिक क्रियाएं
14. वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द
15. मुहावरे और लोकोक्तियां
16. अंग्रेजी के पारिभाषिक (तकनीकी) शब्दों के समानार्थक हिन्दी शब्द
17. सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिन्दी में रूपान्तरण और हिन्दी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपान्तरण
18. कार्यालयी पत्रों से सम्बन्धित ज्ञान

II सामान्य अंग्रेजी:

1. Tenses/Sequence of Tenses

2. Voice: Active and Passive

3. Narration: Direct and Indirect

4. Transformation of Sentences: Assertive to Negative,
Interrogative, Exclamatory and vice versa.

5. Use of Articles, Determiners and Perpositions

6. Translation of Simple (Ordinary/Common)
Sentences form Hindi to English and Vice versa.

7. Correction of sentences including subject, verb,
Agreement, Degrees of Adjectives, Connectives and words wrongly used.

8. Glossary of official, Technical Terms (with their Hindi Versions)

9. Synonyms and Antonyms

10. One word substitution

11. Prefixes and suffixes.

12. Confusable words

13. Comprehension of a given passage

14. Knowledge of Official/Demi official Letters,
Circular, Notices and Tenders."

(ii) अनुसूची- I के भाग-II के विद्यमान ''ग्रुप - ग'' के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

''कम्प्यूटर :- कम्प्यूटर पर गति परीक्षण होगा।''

''गति :- कम्प्यूटर पर न्यूनतम गति 8000 की-डिप्रेशन्स प्रति घंटा होनी चाहिए। डाटा हिन्दी या अंग्रेजी भाषा या द्विभाषा अर्थात् अंग्रेजी और हिन्दी में डाला जायेगा।

परीक्षण, गति और दक्षता को अंतर्विष्ट करने वाले दो प्रश्नपत्रों का होगा जो प्रत्येक 50 अंकों का होगा।''

14. अनुसूची - II का हटाया जाना.- इन नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची- II हटायी जायेगी।

15. अनुसूची - IV का संशोधन.- इन नियमों से संलग्न अनुसूची-IV के विद्यमान मद संख्यांक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

''4. प्रत्येक वर्ष परीक्षाएं उच्च न्यायालय द्वारा नियत तारीख और समय पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के मुख्यालयों पर, जो पाठ्य-विवरण और उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार व्यवस्थाऐं करायेंगे, आयोजित की जायेगी।''

[संख्या एफ. 3(33)डीओपी/ए-II/85]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

ओ.पी. गुप्ता,

संयुक्त शासन सचिव।

❖ ❖ ❖